<u>फर्द अहकाम</u>

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
सोनल बनाम अमित वगैरह
दीवानी दावा संख्या – 31/2013
सी.आई.एस संख्या– 1170/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>26.11.2025</u>	वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 जा.दी. सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में उभयपक्षो ने अपने–अपने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया है। अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने तर्को के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **2015 WLC(Raj.) UC** पेज 267 शबीर बनाम अब्दूल करीम वगैरह प्रस्तुत किया। हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्व इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। उसके पश्चात इसका स्वर्गवास दिनांक 26.11.2019 को होना बताया है। जिसकी जानकारी वादी को प्रतिवादी के गवाह अमित की जिरह के दौरान हुई है। प्रार्थना पत्र में दर्शित वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिस होना किसी भी पक्ष ने जाहिर नही किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 02/1 लगायत 02/3 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाता है। आदेश सुनाया गया। वादी विहित समय सीमा अवधि में संशोधित टाईटल व फर्द तलबाना प्रस्तुत करे। फर्द तलबाना प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/3 को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/3 दिनांक 03.12.2025 को पेश हो। **(संदीप आनन्द)**	

	(संदीप आनन्द)	